हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰/आर॰ओ॰/2021/ 258 दिनांक : 29/09/2021

कार्यालय आदेश (258/2021)

कार्यालय आदेश संख्या हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰/आर॰ओ॰/2021/18 दिनांक 29.01.2021 को संकायाध्यक्ष/परिसर निदेशक/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष के साथ सम्पन्न हुयी बैठक के अनुरूप एवं पुनः कार्यालय आदेश संख्या आर॰ओ॰/2021/229 दिनांक 08.09.2021 में समस्त संकायाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुयी बैठक के निर्णयानुसार तीनों परिसरों में शोध छात्रों के अध्ययन हेतु तीनों परिसरों को दिनांक 15.09.2021 से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप में दिनांक 04.10.2021 से अब निम्नवत् पाठ्यक्रमों के छात्रों के पठन–पाठन हेतु तीनों परिसरों को खोला जाता है।

1. स्नातकोत्तर स्तर पर जिन छात्र/छात्राओं के द्वारा प्रयोगात्मक विषय लिये गये हैं, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा को देखते हुए उन्हे परिसरों में आने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम के सभी छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन के लिए विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों को दिनांक 04.10.2021 से खोल दिया जाता है।
3. स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनके प्रयोगात्मक विषय हैं उन सभी छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन के लिए विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों को दिनांक 11.10.2021 से खोल दिया जाता है।
4. विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों के पुस्तकालयों को भी पठन–पाठन के लिए खोला जाता है, परन्तु एक शिफ्ट में केवल 30 छात्र/छात्रायें ही अध्ययन हेतु पुस्तकालय में प्रवेश ले सकेंगे।

उत्तराखण्ड से बाहर के छात्र/छात्राओं को छात्रावासों/परिसरों में प्रवेश करने से पूर्व दोनो वैक्सीन लगाये जाने का प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड शासन के स्मार्ट सीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराये जाने का प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा। उत्तराखण्ड में रह रहे छात्र/छात्राओं को दोनो वैक्सीन लगाये जाने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें छात्रावासों/परिसरों में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

एतद्द्वारा उपर्युक्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वो कोविड–19 के लिए जारी भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन के दिशा–निर्देशों का अक्षशः पालन सुनिश्चित करते हुये अपना पठन–पाठन दिनांक 04.10.2021 से अग्रिम आदेशों तक जारी रखेंगे।

29/09/21
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियंता/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. परिसर निदेशक (टिहरी/पौड़ी/चौरास)/निदेशक आई॰क्यू॰ए॰सी॰।
4. वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ संयुक्त कुलसचिव/ समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव/ अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/प्रभारी उप कार्यालय देहरादून।
5. सुरक्षा अधिकारी को इन निर्देशों के साथ कि कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों हेतु कोविड–19 एस॰ओ॰पी॰ का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
6. प्रभारी सिस्टम मैनेजर को उक्त सूचना वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सोशल मीडिया चैंपियन/ कोर्डिनेटर डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर/ समस्त अनुभाग अधिकारी/प्रभारी।
8. जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना का वृहद रूप से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
9. निजी सचिव, कुलपति, मा॰ कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

29/09/21
कुलसचिव